पत्र सं०-e-gov/CFMS-04/2018................../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-................

विषयः- **CFMS अंतर्गत विपत्रों के साथ संलग्न किये जानेवाले सब-भाउचर्स की Scanned प्रति संबंधित कोषागार को ऑनलाईन भेजने के संबंध में ।**

प्रसंगः- वित्त विभागीय ज्ञापांक-4212 दिनांक-10.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय संव्यवहार को ऑनलाईन करने हेतु दिनांक-01.04.2019 से CFMS को लागू किया गया है । CFMS के अंतर्गत कार्यालय द्वारा तैयार विपत्र ऑनलाईन संबंधित कोषागार में समर्पित किया जाता है तथा विपत्र की भौतिक प्रति कोषागार को नहीं भेजी जा रही है । इस संबंध में प्रासंगिक वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4212 दिनांक-10.05.2019 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किया गया है, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है । दिनांक-17.09.2020 को प्रधान महालेखाकार(ले० एवं ह०) के साथ हुए Entry Conference में भी इस तथ्य को उठाया गया है । पुनः प्रासंगिक पत्र के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते है :-

(i) पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्र के साथ ₹1000/- से अधिक सब-भाउचर्स के स्थान पर ₹5000/- से अधिक राशि के सब-भाउचर्स पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्र के साथ ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किये जायेगे ।

(ii) प्रत्येक सब-भाउचर्स पर "Paid and Cancelled" एवं "Pass for Rs......." अवश्य लिखा जायेगा ।

(iii) विपत्र के साथ संलग्न सभी सब-भाउचर्स पर CFMS सृजित Bill reference No. को दर्ज किया जायेगा ।

(iv) सहायक अनुदान (Grant in Aid) ए०सी० विपत्र (AC Bill) एवं पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्रों (Fully Vouched Contigent Bills) विपत्रों के साथ निकासी के लिए सक्षम प्राधिकार का आदेश/स्वीकृत्यादेश को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

(v) कार्य विभागों एवं वन विभाग के कार्य के विपत्रों के साथ सब-भाउचर्स, चालू लेखा विपत्र एवं MB को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

(31.)

(vi) अधिकांश मामले में अधिक निकासी की गयी राशि की वापसी के लिए संगत चालान को विपत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है । ऐसे मामलों में संगत चालान की प्रति विपत्र के साथ अवश्य संलग्न किया जायेगा ।

(vii) Direct Payment Bill में Bank Scroll को अपलोड करना अनिवार्य है ।

(viii) मासिक पेंशन विपत्र के लिए महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार (पेंशन, उपादान आदि) को अपलोड करना अनिवार्य है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार ठाकुर),

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

ज्ञापांक- 5084 दिनांक- 30-09-2020

प्रतिलिपिः- **महालेखाकार(ले० एवं ह०) का कार्यालय**, बिहार, पटना/**सभी कोषागार पदाधिकारी,** बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/9/2020

(अजय कुमार ठाकुर),

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

N36-S-2020